राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

कमांक प.12(07)राज/वाद/2024 जयपुर, दिनांकः– ई–हस्ताक्षर

1. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/गवर्नमेंट काउंसिल्स, जोधपुर एवं पीठ जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड/ पैनल लॉयर्स, नई दिल्ली।

–:परिपत्रः–

आपका ध्यान विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 10.10.2025 और दिनांक 26.02.2026 की ओर आकर्षित कर लेख है कि उक्त परिपत्र से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय और माननीय उच्चततम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन राज्य सरकार के प्रकरणों की सुनवाई में संबंधित विधि अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार की ओर से उपस्थिति/प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाकर समसंख्यक परिपत्रों से यह अपेक्षा की गयी थी कि,–

1. समस्त विभागों के नोडल अधिकारी/प्रकरण प्रभारी माननीय न्यायालय के समक्ष राज्य की ओर से प्रस्तुत किये जाने वाले अभिवचन के लिये आवश्यक अभिलेख, सुसंगत तथ्य एवं नियम/परिपत्र, प्रकरण में नियुक्त अधिवक्ता को अविलम्ब उपलब्ध करवाया जाना एवं उनसे समन्वय स्थापित रखते हुए राजकीय प्रकरणों में अपेक्षित कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
2. माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में सुनवाई के समय राज्य सरकार की ओर से नियुक्त संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता/ काउंसिल्स पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थिति/ प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में कोई काउंसिल माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ हों, तो इसकी पूर्व सूचना संबंधित पूल प्रभारी/अतिरिक्त महाधिवक्ता को दी जावे, जिससे कि वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके।
3. समस्त विभागों द्वारा माननीय न्यायालय में विचाराधीन उनके विभाग से संबंधित अवमानना प्रकरणों को गंभीरता से लिया जावे तथा इन प्रकरणों में नियुक्त समन्वयक/प्रकरण प्रभारियों द्वारा प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट/अद्यतन स्थिति सहित संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता/ काउंसिल से समय रहते सम्पर्क कर प्रगति रिपोर्ट से विभाग को सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
4. सभी विभागों द्वारा माननीय न्यायालय में उनके विभाग से संबंधित विचाराधीन राजकीय प्रकरणों, अवमानना प्रकरणों की विभागीय स्तर से मोनीटरिंग किये जाने

हेतु नोडल अधिकारी/प्रभारी अधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया जावे। साथ ही समस्त नोडल अधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रकरणों की प्रगति रिपोर्ट को लाईट्स साफ्टवेयर पर दर्ज /अद्यतन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

5. जिन प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पक्षकारों के ज्ञापन (Represantation) को निस्तारित करने के निर्देश दिये गये हैं, उन ज्ञापनों (Represantations) को अविलम्ब निस्तारित करना सुनिश्चित किया जावे।
6. माननीय न्यायालयों के समक्ष राज्य सरकार की ओर से प्रकरणों में प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करते हुये समस्त अतिरिक्त महाधिवक्तागण/ गवर्नमेंट काउंसिल्स से यह अपेक्षित था कि माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकरणों की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से पैरवी/ प्रतिनिधित्व किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

यह संज्ञान में आया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन राज्य सरकार के प्रकरणों में संबंधित विधि अधिकारियों द्वारा उपस्थिति प्रस्तुत किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा जारी उक्त विभागीय आदेश/परिपत्रों की पालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है तथा माननीय न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की ओर से प्रकरणों की सुनवाई में अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए नाराजगी जाहिर की है।

अतः उक्त निर्देशों के क्रम में पुनः निर्देश है कि उक्त परिपत्रों की कठोरतावपूर्वक पालना सुनिश्चित की जावे।

(राघवेन्द्र काछवाल)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विभागाध्यक्ष।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

(राघवेन्द्र काछवाल)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

Document certified by RAGHAVENDRA KACHAWAL <kachawal@yahoo.co.in>.
Digitally Signed by RAGHAVENDRA KACHAWAL
Designation : Principal Secretary To Government
Date :25-08-2026 04:21:59